दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि :- 28 अप्रैल, 2023

सि.वि.(मु.) 689/2023 केवियट 221/2023 और सि.वि.आ.(नों) 21457-60/2023

नवीन कुमार दलाल .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री मुकेश एम. गोयल, अधिवक्ता सह याचिकाकर्ता स्वयं (मो :- 9810910312)

बनाम

नीलम कादियान .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री आशुतोष दुबे, सुश्री राजश्री दुबे, श्री अभिषेक चौहान, श्री अमित पी. शाही और श्री अमित कुमार, अधिवक्तागण सह प्रत्यर्थी स्वयं (मो. : 9953587630)

कोरमः
न्यायमूर्ति सुश्री प्रतिभा एम. सिंह

प्रतिभा एम. सिंह, न्या. (मौखिक)

1. यह सुनवाई हाइब्रिड माध्यम से की गई है।

केवियट 221/2023

2. केवियट जारी की जाती है, क्योंकि केवियटकर्ता पेश हुए हैं।

<u>सि.वि.आ. 21458-60/2023</u>

3. सभी न्यायसंगत अपवादों के अध्यधीन अनुमति दी गई । आवेदनों का निपटान किया जाता है।

<u>सि.वि.(मु.) 689/2023 और सि.वि.आ. 21457/2023</u>

4. याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी पति और पत्नी हैं जो एक कटु वैवाहिक वाद में उलझे हुए हैं।

5. वर्तमान याचिका में, याचिकाकर्ता- नवीन कुमार दलाल (*इसमें इसके बाद, "पति"*) ने विद्वान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटियाला हाउस कोर्ट नई दिल्ली (*इसमें इसके बाद, "परिवार न्यायालय"*) द्वारा पारित 29 मार्च, 2023, दिनांकित आक्षेपित आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी- श्रीमती नीलम कादियान (*इसमें इसके बाद "पत्नी"*) से जिरह करने के पति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। पति के साक्ष्य को भी समाप्त कर दिया गया है और मामले को कल यानी दिनांक 29 अप्रैल, 2023 को अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

6. तलाक की मांग करने वाली याचिका पत्नी द्वारा वर्ष 2013 में दायर की गई थी और लगभग एक दशक बीत जाने के बावजूद अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर स्तर पर पति द्वारा बार-बार याचिकाएं दायर की जा रही हैं जिनमें परिवार न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों को

चुनौती दी गई है। ऐसा ही एक आदेश ***नीलम कादियान बनाम नवीन दलाल*** शीर्षक वाली ***हि.वि.अ. सं. 464/18*** में पारित आदेश दिनांकित 20 फरवरी, 2020 है, जिस पर इस न्यायालय द्वारा ***नवीन कुमार दलाल बनाम नीलम कादियान*** शीर्षक वाली ***सि.वि.(मु.) सं. 623/2020*** में विचार किया गया था। उक्त मामले में आदेश दिनांकित 15 दिसंबर, 2020 के माध्यम से। कथित याचिका में भी शिकायत यह थी कि प्रतिपरीक्षा का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। इस न्यायालय ने पति को निम्नलिखित शर्तों पर पत्नी से प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी :-

> *"7. पक्षकारों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, मुझे पता चला है कि विद्वान परिवार न्यायालय ने जल्दबाजी में प्रत्यर्थी से प्रतिपरीक्षा करने के याचिकाकर्ता के अधिकार को समाप्त कर दिया है। यह मामला दिनांक 20 फरवरी, 2020 को दूसरी बार प्रत्यर्थी की प्रतिपरीक्षा के लिए सूचीबद्ध किया गया था, और याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया था कि उसने दिनांक 18 दिसंबर, 2019 को उसका प्रतिपरीक्षण किया था। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता इस बात से इंकार करने में असमर्थ हैं कि यह पहला अवसर था जब प्रत्यर्थी की प्रतिपरीक्षा के लिए स्थगन की मांग की जा रही थी।*
>
> *8. मेरे विचार में, विद्वान परिवार न्यायालय को, आक्षेपित आदेश पारित करते समय, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था कि इन कठिन समय में, जब पूरी दुनिया कोविड-19 के प्रभाव से जूझ रही है, अन्यथा भी, यदि मामले को एक तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया था, प्रत्यर्थी पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता। दूसरी ओर, दिनांक 20.02.2020 के*

आक्षेपित आदेश के पारित होने और उसके बाद विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2020 के आदेश को वापस लेने से इनकार करने के कारण मामले में और देरी हुई है, जो यह पहलू भी दिनांक 14.10.2020 का आदेश पारित करते समय विद्वान परिवार न्यायालय के ध्यान से छूट गया प्रतीत होता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 20 फरवरी, 2020 और 14 अक्टूबर, 2020 को जारी किए गए आदेश बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं हैं और तदनुसार इन्हें रद्द किया जाता है।

9. जैसा कि यह मामला दिनांक 22.11.2021 को विद्वान परिवार न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध बताया गया है, याचिकाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि यदि प्रत्यर्थी उपस्थित है, तो उसकी प्रतिपरीक्षा उक्त तिथि को और किसी अन्य पश्चात्वर्ती तिथि को, जैसा भी विद्वत परिवार न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाए, की जाए।

10. परिवार न्यायालय, तथापि, याचिकाकर्ता को कोई अनावश्यक स्थगन मंजूर नहीं करेगा और इस न्यायालय द्वारा पहले से पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता शीघ्रता से निपटाने का प्रयास करेगा।

7. परिवार न्यायालय के समक्ष पति द्वारा पत्नी की प्रतिपरीक्षा तब से लेकर अब तक दिनांक 30 अप्रैल, 2022, 18 जुलाई, 2022, 19 जुलाई, 2022 और 7 सितंबर, 2022 तक कई तिथियों पर जारी रही है। दिनांक 16 मार्च, 2023 को, पति की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था और पत्नी से प्रतिपरीक्षा करने के पति के अधिकार को विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उक्त आदेश में परिवार न्यायालय ने भी इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि उक्त मामला परिवार न्यायालय के समक्ष लंबित सबसे पुराने लंबित मामलों में से एक है

और इस प्रकार मामले में अनावश्यक स्थगन की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिनांक 16 मार्च, 2023 का उक्त आदेश इस प्रकार है :-

> *"यह 2:30 अपराह्न बज गए है और प्रत्यर्थी की ओर से कोई कोई भी बार-बार फोन करने के बावजूद सुबह से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है जबकि याचिकाकर्ता सुबह से अपनी प्रतिपरीक्षा के लिए मौजूद है।*
>
> *रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि पहले भी याचिकाकर्ता की प्रतिपरीक्षा आयोजित करने का प्रत्यर्थी का अधिकार बंद कर दिया गया था| इसके बाद, प्रत्यर्थी ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.11.2021 के अपने आदेश द्वारा प्रत्यर्थी को 22.11.2021 को या किसी अन्य बाद की तारीख को याचिकाकर्ता की प्रतिपरीक्षा आयोजित करने का अवसर दिया था। हालांकि, तब से, किसी न किसी कारण से, याचिकाकर्ता की प्रतिपरीक्षा प्रत्यर्थी द्वारा पूरी नहीं की जा सकी और आज कोई भी याचिकाकर्ता की प्रतिपरीक्षा आयोजित करने के लिए प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित नहीं हुआ था। इसलिए, इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता का प्रतिपरीक्षा आयोजित करने का प्रत्यर्थी का अधिकार एक बार फिर से बंद किया जाता है।"*
>
> *याचिकाकर्ता का अलग बयान देखें, पी. ई. को बंद किया गया है।*
>
> *29.03.2023 को आरई के लिए लगाया गया है।*
>
> *सुनवाई की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले प्रत्यर्थी के गवाह का साक्ष्य शपथ पत्र दिया जाए।*

<u>यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि यह इस न्यायालय के सबसे पुराने मामलों में से एक है, इसलिए किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन नहीं दिया जाएगा।"</u>

8. तत्पश्चात्, पति ने उपर्युक्त आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसको विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2023 के आक्षेपित आदेश द्वारा विनिश्चय किया गया। आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

> *"रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि दिनांक 18.07.2022,19.07.2022, 07.09.2022, 15.09.2022 और 28.09.2022 को मामले 2 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे| दिनांक 15.09.2022 और 28.09.2022 को मामले को केवल स्थगित कर दिया गया था। दिनांक 28.09.2022 को, इस मामले को 13.12.2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया था लेकिन यह निर्देश नहीं दिया गया था कि इस पर दोपहर 2 अपराह्न बजे सुनवाई की जाएगी। 13.12.2022 को, न्यायालय छुट्टी पर था और इसलिए मामले को 16.03.2023 के लिए स्थगित कर दिया गया था और कोई समय निर्धारित नहीं किया गया था। इसलिए, यह कहना कि इस मामले को दोपहर 2 अपराह्न बजे लिया जाता था, विशेष रूप से 28.09.2022,13.12.2022 के आदेश के आलोक में पूरी तरह से सही नहीं है। किसी भी मामले में, भले ही इसे दोपहर 2 अपराह्न बजे लिया जाना था, प्रत्यर्थी को न्यायालय को सूचित करने के लिए दोपहर 2 अपराह्न बजे पेश होना चाहिए था, लेकिन आवेदन पूरी तरह से मौन है कि वह उपस्थित क्यों नहीं था| इसके अलावा, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूरी तरह सहमत है कि प्रत्यर्थी के अधिवक्ता के पास 16.03.2023 को अपनी पत्नी को हवाई अड्डे पर छोड़ने के बाद न्यायालय तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय*

था| इसके अलावा, सहयोगी अधिवक्ता का शपथ पत्र जिसे मामले में उपस्थित होने के लिए कहा गया था और जो कथित रूप से 2:40 अपराह्न बजे के बाद उस दिन उपस्थित हुए इसे अभी तक फाइल नहीं किया गया है। इसके अलावा, यदि सहयोगी अधिवक्ता उपस्थित हुआ होता, तो उसे दिन की कार्यवाही के बारे में बताया जाता और इसलिए, यह विश्वसनीय नहीं है कि प्रत्यर्थी या उसके अधिवक्ता को पीडब्ल्यू-1 से प्रति परीक्षा करने के उसके अधिकार के बारे में पता नहीं चला और यह ख़त्म कर दिया गया है किसी भी समय पहले ही जब उसने जिला न्यायालय एप को देखा जहाँ मामला पुनः सूचीबद्ध के लिए दिख रहा था|

पूर्वोक्त परिस्थिति में, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रत्यर्थी द्वारा वर्तमान आवेदन में और साथ ही प्रतिवाद में, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, प्रत्यर्थी को पीडब्लू-1 से प्रतिपरीक्षा करने का एक और अवसर देने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है, इसलिए, वर्तमान आवेदन इसके द्वारा खारिज किया जाता है.

अंतिम बहस के लिए 29.04.2023 को प्रस्तुत करें।

इस आदेश की प्रतिलिपि प्रत्यर्थी के विद्वान् अधिवक्ता को दी जाए।"

9. उपर्युक्त आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान परिवार न्यायालय ने पति द्वारा कार्यवाही को लंबा खींचने के तरीके पर पूरी तरह नाराजगी व्यक्त की है। ऐसी परिस्थितियों में पति का आवेदन आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

10. आज, न्यायालय ने एक बार फिर पति से कहा है कि पक्षकारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को ध्यान में रखते हुए, वह अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए सहमत क्यों नहीं है। यह पति की ओर से प्रस्तुत किया जाता है कि पत्नी ने उसके खिलाफ विभिन्न आरोप लगाए हैं।

11. न्यायालय ने पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्तागण के निवेदनों को सुना है। दोनों की शादी 1998 में हुई थी। पत्नी के अनुसार, वह 2007 से अपने पति से शारीरिक रूप से अलग हो गई है। हालांकि, इसे पति के ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा विवादित किया गया है।तलाक की कार्यवाही स्वयं लगभग एक दशक पहले 2013 में शुरू हुई थी और विद्वान परिवार न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाली पति द्वारा बार-बार दायर की जा रही याचिकाओं के कारण किसी निष्कर्ष पर पहुंचने वाली प्रतीत नहीं होता है।

12. वर्तमान याचिका का दायरा विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा पारित 29 मार्च, 2023 के आक्षेपित आदेश तक सीमित है। इस न्यायालय ने आदेश पत्र का अवलोकन किया है और उसे देखा है। परिवार न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने पति को अपनी पत्नी से प्रति परीक्षा करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया है।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अजीत मोहन बनाम विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली [2020 की रि. या. (सि)1088]** के मामले में अंतरिम के साथ-साथ अंतिम कार्यवाही के लिए समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता पर जोर

दिया। कथित निर्णय के पश्चात लेख का प्रासंगिक हिस्सा दिनांक 8 जुलाई, 2021 का विवरण इस प्रकार

> *"3. आगे का रास्ता क्या है? हमारा मानना है कि इस बारे में विचार प्रक्रिया में स्पष्टता की आवश्यकता है कि न्यायालय के समक्ष किस विषय पर विचार किया जाना है। अधिवक्तागणों को अपनी दलीलों की रूपरेखा पर बहस की शुरुआत से ही स्पष्ट होना चाहिए। इसे दोनों पक्षों द्वारा संक्षिप्त सारांश के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और फिर इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। यद्यपि विधिक बिरादरी नहीं चाहेगी कि मौखिक प्रस्तुतियों के लिए समय सीमा का प्रतिबन्ध एक ऐसा पहलू है जिसे लागू किया जाना चाहिए। हमें वास्तव में संदेह है कि क्या दुनिया में कहीं भी कोई न्यायिक मंच मौखिक प्रस्तुतियों के लिए इस तरह की समयावधि लेने की अनुमति देगा और इसके बाद लिखित सारांश द्वारा इसे और बढ़ाया जाएगा। मौखिक बहस को सीमित करने के बजाय यह एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बन गया है कि सबसे लंबे समय तक कौन बहस करता है।*
>
> *.....*
>
> *10. एक और चिंता का विषय लंबे समय तक चलने वाली अंतरिम कार्यवाही है। आपराधिक मामलों में, यहां तक कि जमानत के मामलों पर भी घंटों तक एक साथ और कई स्तरों पर बहस की जा रही है। सिविल कार्यवाहियों में स्थिति भिन्न नहीं है जहां अंतरिम अवस्था पर काफी समय ख़र्च किया जाता है जब उद्देश्य केवल संक्षिप्त आदेश द्वारा पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा करना और उसके बजाय मूल कार्यवाहियों पर समय व्यतीत करना होना चाहिए जो अंतरिम व्यवस्था के बजाय मुकदमे को समाप्त कर सकता है। वास्तव में, सिविल*

कार्यवाहियों में अंतरिम आदेशों का कोई पूर्ववर्ती मूल्य नहीं है। यही कारण है कि यह कहा जाता है कि हम अंतरिम कार्यवाहियों के न्यायालय बन गए हैं जहां अंतिम कार्यवाहियां वर्षों के बाद समाप्त होती हैं-निष्पादन की सिविल कार्यवाहियों में केवल एक और दौर शुरू होने के लिए।"

14. यह देखा गया है कि किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा का आशय साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य का खंडन करने के लिए संबंधित पक्षकार को अवसर प्रदान करेगा। इसे एक उचित समय सीमा के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए और कभी समाप्त न होने वाले तरीके से घृणास्पद होने तक जारी नहीं रखा जा सकता। वर्तमान मामले में, इस न्यायालय द्वारा और विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा भी पति को प्रतिपरीक्षा समापन करने के लिए बार-बार अनुग्रह प्रदान किया गया है| परिवार न्यायालय के आदेश पत्रों के अनुसार, प्रतिपरीक्षा तारीखों के बाद की तारीखों पर जारी प्रतीत होती है। वैवाहिक मामलों में इस तरह की प्रतिपरीक्षा केवल उत्पीड़न से अधिक कुछ नहीं होगी। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय पति को पत्नी से प्रतिपरीक्षा करने का कोई और अवसर देने के लिए प्रवृत्त नहीं है।

15. जहां तक पति के साक्ष्य का संबंध है, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और यह केवल 16 मार्च, 2023 को था कि पत्नी का साक्ष्य बंद कर दिया गया था और पुनर्विलोकन के लिए पति के साक्ष्य और शपथपत्र को एक सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, 29 मार्च, 2023 के

आक्षेपित आदेश द्वारा पति के साक्ष्य को भी बंद कर दिया गया और मामले को अंतिम बहस के लिए निर्धारित कर दिया गया।

16. इसी के मद्देनज़र, पति की ओर से साक्ष्य 10 मई 2023 तक दाखिल किया जाएगा। परिवार न्यायालय के समक्ष लगातार दो तारीखों पर अर्थात् 17 मई, 2023 और 18 मई, 2023 को गवाहों को पेश किया जाएगा| उक्त तिथियों पर, उसकी प्रतिपरीक्षा पूरी की जाएगी और किसी भी पक्ष को आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। यह अवसर पति को दो सप्ताह के भीतर पत्नी को भुगतान की जाने वाली लागत के रूप में 50,000/- रुपये के भुगतान के अधीन दिया जा रहा है।

17. दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य की समाप्ति के तुरंत बाद, मामले को अंतिम बहस के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

18. वर्तमान याचिका का, सभी लंबित आवेदनों के साथ, उपरोक्त शर्तों में निपटान किया जाता है।

प्रतिभा एम. सिंह
न्या.

28 अप्रैल, 2023/*डीके/केटी*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*